

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोवनेर
केस सं० /2022

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>है। आगामी पेशी पर आपरयक रूप से बकालतग अभ्यालतग उतिवासी सं० 1 ता 7, 10, 11, 18 ता 21 उपाखित रहे। उतिवासी सं० 12 ता 17 के डिलीवरी स्टेचमेंट पुनः पेश करें। पत्रावली त्रिपत दिनांक से पेश हो।</p>	
11/6/23		<p>पत्रावली पेश हुई है उतिवासी सं० 1 ता 7, 10, 11, 18 ता 21 का वकालत अभ्यालतग के अनुपासित होने के कारण नतीके विस्त उतिवासी सं० 8, 9, 9 की ओर से बकालतनामा पेश करने हेतु अवगत था। उक्त अतिवृत्त अवगत दिच पत्रा सं० 12 आगामी पेशी पर उतिवासी सं० 12 ता 17 के डिलीवरी स्टेचमेंट पेश की अन्यथा पुनः पत्रावली पेश की। पत्रावली दिनांक 11/9/23 को पेश हो।</p>	
11/9/23		<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे हुए हैं। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 22/9/23 को पेश हो।</p>	
24/9/23		<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/23 को पेश हो।</p>	
27/9/23		<p>पत्रावली पेश हुई वती की ओर से अ. श्री अनुमान जाखड़ द्वारा बकालतनामा एवं उतिवृत्त पत्र वाद को नहीं चलाने हेतु पेश किया।</p>	

Note Press
27/9/23

फर्द अहकाम

सुरजान वर्मा बनाम जगदीश वर्मा

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 2022

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>वादी आवेदनिका द्वारा वाद के Not Press पर खारिज करने का निर्देश करने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पतावली के सल सुमर टैकट नष्ट से का टैकट साखिल नष्ट हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	